FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0257 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/11/2024 15:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 26/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:50 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/11/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/11/2024 15:30:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SURAJGARH ROAD CHIRWA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** DEEPAK KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHOMENDRA KUMAR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GANW MANDERLA, PILANI, MANDRELA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GANW MANDERLA, PILANI, MANDRELA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANISH MAAN		पिता:OMPRAKESH MAAN	1. WARD NO-18,CHATREPATI SHIVAJI HOSTAL KE PASS,CHOUDHARY COLONY,CHIRAWA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

[redacted]

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 26.06.2024 को परिवादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री भौमेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मण्ड्रेला तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं ने कार्यालय उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे पिताजी के नाम से घरेलु कनेक्शन हेतु पत्रावली तैयार कर मय शपथ पत्र के श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता बख्तावरपुरा से मिला तो उन्होने मुझे पूर्व में घरेलु कनेक्शन ऐस्टीटमेंट बना कर दिया था उसके बाद मै उस एस्टीमेंट को लेकर बगड ए.ई.एन. आफिस गया तो उपभोक्ता बाबु ने मेरे को दुरी ज्यादा होने का कह कर कनेक्शन नही होने की कहीं तो मै फिर दुबारा श्री मनीष मान से मिला तो उन्होने मेरे को दुसरा ऐस्टीमेंट बनाकर दिया। मैने मेरी जान पहचान से एस्टीममेंट दिखाकर कनेक्शन के बारे में पूछा तो उन्होने कहां कि यह ऐस्टीमेंट नियम विरूद्ध बनाया गया है। इस इस्टीमेंट से कभी भी कनेक्शन नही हो सकता दिनांक 25-06-2024 को पुन जे.ई.एन से मिला तो उन्होंने ऐस्टीमेंट बदलकर दुसरा ऐस्टीटमेंट बनाकर देने की एवज में मेरे से 60,000 रूपये रिश्वत की मांग की एवमं मेरे को मेरी फाईल मुझे देकर कहा कि फाईल को बदलवाकर मुझे ला कर देना मै दुसरा एस्टीमेट (ESTIMATE) बना दुंगा और कनेक्शन करवा दूंगा। मैं जे.ई.एन को 60,000 रूपये रिश्वत राशि नही देकर उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूॅ। कृपया कानुनी कार्यवाही करने का श्रम करें। पूछताछ पर श्री दीपक कुमार ने बताया कि श्री मनीष मान जे.ई.एन से मेरी कोई रंजिश नही है ना ही कोई उधार लेन देन है । परिवादी ने बताया कि श्री मनीष मान जे.ई.एन इस समय चिडावा में है जिनके पास जाकर आज ही रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवा सकता हूॅ। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर श्री कुमार सानू कानि0 न0 138 को बुलाकर परिवादी श्री दीपक कुमार से परिचय करवाया तथा परिवादी के साथ जाकर गोपनीय रिश्वती मांग सत्यापन कर लाने की हिदायत की गई। आलमारी से कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया गया। डिजीटल टेप रिकार्डर व खाली मैमोरी कार्ड को चला कर देखा गया तो टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड खाली पाया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर परिवादी को चलाने एवं बंद करने के बारे में समझाईश कर डिजिटल टेप रिकार्डर में खाली मैमोरी कार्ड डालकर श्री कुमार सानू कानि0 न0 138 को डिजिटल टेप रिकार्डर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु सुपूर्द कर चिडावा के लिए रवाना किया। श्री कुमार सानू कानि बाद रिश्वत मांग सत्यापन वापस आया तथा डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर बताया कि मै व परिवादी श्री दीपक कुमार की गाडी से रवाना होकर बख्तावरपुरा पहुचे तब परिवादी ने श्री मनीष मान जे.ई.एन का गोपनीय रूप से पता किया तो श्री मनीष मान जे.ई.एन मोटर गेराज सूरजगढ रोड चिडावा पर होना बताया। मै व परिवादी बख्तावरपुरा से रवाना होकर सूरजगढ रोड चिडावा पहुचे जहा परिवादी द्वारा बताये मोटर गैरेज के बाहर पहूॅचे जहां पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपूर्द किया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु रवाना किया। मै गैरेज के बाहर आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहा। परिवादी गैरेज के अन्दर जाते ही वापस आया और मैने परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया। परिवादी ने मुझे बताया कि जे.ई.एन साहब गैरेज के अन्दर नही है। परिवादी ने मेरे सामने ही श्री मनीष मान जे.ई.एन से मोबाईल फोन पर अपने फोन से वाटसअप कॉल कर वार्ता की तो श्री मनीष मान जे.ई.एन ने बताया कि आप बैठो मै थोडी देर में आ रहा हूॅ। करीबन एक घण्टे पश्चात श्री मनीष मान जे.ई.एन अपनी गाडी से गैरेज पर आया तब मैने परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मनीष मान जे.ई.एन के पास गैरेज में रवाना किया। परिवादी करीबन आधा घण्टे पश्चात आया। मैने परिवादी से डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया श्री मनीष मान जे.ई.एन साहब से मेरी बात हो गई है जिन्होने मुझ से मेरे घरेलु कनेक्शन करने के लिए चालिस हजार रूपये रिश्वत की मांग की हैं। मै एक दो दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आ जाउंगा। परिवादी को चिडावा छोडकर रवाना हो झुंझुनूं वापस आया। डिजिटल टेप रिकार्डर को चला कर सुना तो रिकार्डिंग वार्ता में आरोपी श्री मनीष कुमार जे.ई.एन द्वारा परिवादी से उसका घरेलु कनेक्शन करने की एवज में 40000 हजार रूपये मांगने की एवं कुमार सानू द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिती में फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 27-06-2024 कानि मनोज कुमार नम्बर 76 को जरिये तहरीर देकर दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर लाने हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद झुंझुनूं रवाना किया। श्री मनोज कुमार कानि0 स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुल्हार कृषि पर्यवेक्षक एवं श्री सत्यप्रकाश प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक

कृषि विस्तार जिला परिषद झुंझुनूं से हमराह लेकर आया। परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता हुई तो परिवादी ने बताया कि मेरे चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया है, उनके सिर में गहरी चोट होने के कारण ईलाज के लिए सीकर लेकर जा रहा हूँ इसलिए आज मै उपस्थित नही हो सकता हूं। दिनांक 03-07-2024 को परिवादी श्री दीपक कुमार ने जरिये वॉटसअप कॉल कर श्री सुनिल कुमार कानि. 227 को ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु आज उपस्थित होने की जानकारी दी। पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश एवं श्री पंकज कुमार उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री दीपक कुमार उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मै रिश्वत में देने वाली राशि 40000 रूपये मेरे साथ लेकर आया हूं। परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने दिनांक 26.06.2024 को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड सत्यापन वार्ता एवं श्री कुमार सानू कानि. द्वारा बताई गई बातो की ताईद की। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति चाही तो उन्होने अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री दीपक कुमार ने दिनांक 26-06-2024 को आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता से अपने घरेलु बिजली कनेक्शन के संबंध में बात की थी। उस समय श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता ने परिवादी से 40,000 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया था। डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कानि0 कुमार सानु न. 138 से कार्यालय के लेपटाप से जुडवाकर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में रिकार्ड वार्ता को सुनकर शब्द ब शब्द फर्द वार्ता रूपान्तरण तैयार करवाया गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटाप मे डाउनलोड कर लेपटाप की सहायता से उक्त रिकार्ड वार्ता की तीन सीडीयां तैयार की गई। एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर मार्क "A" अंकित किया गया। एक सीडी आरोपी हेतु तथा एक सीडी अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता एवं तैयार सीडी की वार्ता से पृथक पृथक हैश वैल्यु निकालकर शामिल कार्यवाही की गई। डिजिटल टेप रिकार्डर से मैमोरी कार्ड 16 जीबी को निकालकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क A-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की दुसरी आवाज श्री मनीष मान कनिष्ठा अभियंता एवं एक आवाज अन्य व्यक्ति की होने की पहचान की है। सीडी एवं मैमोरी कार्ड को सिल्ड करने में पीतल की सील नम्बर 24 काम में ली गई है। फर्द वार्ता रूपान्तरण रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री दीपक कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 40,000 रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500 रूपये के 80 नोट कुल 40000 रूपये पेश किये। उक्त नोटो के नम्बर फर्द पर अंकित कर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी तैयाकर की गई। कार्यालय कक्ष के छत का पंखा बन्द करवाकर उक्त नोटो पर श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर अखबार के उपर सभी नोटो पर हस्ब कायदा फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री पंकज कुल्हार से परिवादी श्री दीपक कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई। फिनोफथलीन पाउडर लगे 40000 रूपये के नोट श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक से परिवादी द्वारा पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई तथा तय ईशारा सिर पर हाथ फेरकर या फोन पर कॉल या मिस कॉल कर ईशारे की समझाईश की गई। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की अलमारी में श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक से रखवाई गई। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। उक्त रंगहीन घोल में श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त गिलास के घोल को श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक से बाहर फिकवाकर गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया था को जलवा कर श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक एवं समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी, गवाहान व हाजरीन को फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया एवं महत्व को समझाया गया। ट्रेप बाक्स में रखी कांच की शिशियो एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो एवं कीमा को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर पुन ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो को गोपनियता बनाये रखने एवं तय ईशारे की समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में नया खाली मैमोरी कार्ड डालकर चला कर देखा गया जिसमें कोई आवाज नही होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गयी। परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता की लोकेशन हेतु आरोपी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर साधारण कॉल कर वार्ता करानी चाही किन्तु आरोपी ने कॉल रिसीव नही किया। तत्पश्चात उक्त नम्बरो से वॉटसअप कॉल की गई किन्तु आरोपी ने वॉटसअप कॉल भी रिसीव नही किया। परिवादी ने आरोपी की गोपनीय रूप से उपस्थिती के बारे में

मालूमात किया तो पता चला कि आरोपी श्री मनीष मान जेईएन कार्यालय में उपस्थित नही है इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही करना सम्भव नही है। परिवादी ने बताया कि मै आरोपी का कल सुबह मालुमात कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब से फिलोफथीन पाउडर लगे 40,000 रूपये गवाह श्री सत्यप्रकाश से निकलवाकर श्री सुनिल कुमार वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुबह कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 04.07.2024 को पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुल्हार एवं श्री सत्यप्रकाश एवं परिवादी श्री दीपक कुमार उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी श्री दीपक कुमार ने बताया कि मैने आरोपी श्री मनीष कुमार जेईएन का पता किया तो मालूम हुआ कि वो आज अपने कार्यालय बख्तावरपुरा में आयेगा। तत्पश्चात लिफाफे में रखे फिनोफथलीन पाउडर लगे हुए रिश्वती राशि 40,000 रूपये कार्यालय के मालखाने से श्री सुनिल कुमार वरिष्ठ सहायक से निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाह से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी नोट से नोटो के नम्बरो का मिलान करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुल्हार से परिवादी श्री दीपक कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई। परिवादी के मोबाईल के अलावा कोई भी आपतिजनक सामग्री परिवादी के पास नही रहने दी। श्री सुनिल कुमार वरिष्ठ सहायक से उक्त फिनोफथलीन पाउडर लगे नोट परिवादी की पहनी पेंट की सामने की दांयी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये गये। समस्त ट्रेप पार्टी के साफ पानी एवं साबुन से हाथ धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री कुमार सानू कानि. व परिवादी श्री दीपक कुमार को परिवादी की गाडी से तथा मै व श्री सुभाषचंद सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि., श्री ईशाक मोहम्मद कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर के निजी वाहन से एवं श्री श्योपाल हैड कानि, श्रीमति सुमित्रा महिला कानि., श्री मनोज कानि., गवाह श्री पंकज कुल्हार व श्री सुरेन्द्र सिंह चालक को कार्यालय के सरकारी वाहन से एवं श्री अली हुसैन कानि. व श्री सुनिल कानि को निजी मोटरसाईकिल से एसीबी चौकी झुंझुनूं से ट्रेप कार्यवाही हेतु ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय बख्तावरपुरा रवाना हुये। कार्यालय में श्री सुनिल कुमार वरिष्ठ सहायक को छोडा गया। मै व हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्य बख्तावरपुरा पहुंच वाहनो को साईड में रूकवाया। परिवादी श्री दीपक कुमार के मोबाईल से आरोपी श्री मनीष कुमार जेईएन के मोबाईल पर दो बार जरिये वॉटसअप कॉल एवं एक बार साधारण कॉल लोकेशन हेतु करवाया गया लेकिन आरोपी ने कॉल रिसीव नही किया। तत्पश्चात परिवादी श्री दीपक कुमार को आरोपी श्री मनीष कुमार जेईएन के ए.वी.वी.एन.एल. बख्तावरपुरा कार्यालय में रिश्वती राशि देने हेतु श्री कुमार सानू कानि. के साथ रवाना किया गया। जिनके पीछे पीछे हम सभी ट्रेप पार्टी सदस्य बख्तावरपुरा ए.वी.वी.एन.एल. कार्यालय के आसपास पहूंच कर अपनी अपनी उपस्थिती छिपाते हुये मुकरर इशारे का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात परिवादी बिना ईशारा किये वापस आया तथा बताया कि मै कार्यालय के अंदर गया जहां एक कर्मचारी मिला उससे मैने श्री मनीष कुमार जेईएन के बारे में पुछा तो उसने बताया कि जेईएन साहब अभी तक कार्यालय नही आये है। परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त की गई। उसके पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य वहां से रवाना होकर बख्तावरपुरा से चिडावा रोड पर मुकिम हुये। परिवादी ने बताया कि मैने गोपनीय रूप से आरोपी के बारे में मालूमात किया है कि आज मौसम खराब है इसलिए आरोपी श्री मनीष कुमार जेईएन आज कार्यालय में आने की सम्भावना नही है। इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे दो तीन दिन घर पर जरूरी कार्य है इसलिए मै आपके पास नही आ सकता। मै श्री मनीष कुमार जेईएन के बारे में पता कर आपसे सम्पर्क कर लूंगा। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री सत्यप्रकाश से परिवादी की पेंट से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 40000 रूपये निकलवाकर सुरक्षित एक लिफाफे में डलवाकर श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि. को सुपुर्द किये एवं परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रूखस्त किया गया एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्य अपने अपने वाहनो से रवाना हो एसीबी चैकी झुंझुनूं पहुंचे। फिनोफथलीन पाउडर लगे रिश्वती राशि 40000 रूपये को सुरक्षित मालखाने में रखवाये गये एवं स्वतंत्र गवाहो को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। दिनांक 09-07-2024 को परिवादी एसीबी कार्यालय झुंझुनूं आया व बताया कि दुसरे खेत की एलटी लाईन टूटी हुई है जिसको ठीक करने के लिए मैने 181 पोर्टल पर दिनांक 30.06.2024 को शिकायत की थी जिस पर पोर्टल की तरफ से बख्तावरपुरा जेईएन मौके पर जाकर गलत रिपोर्ट कर दी की एलटी लाईन दुरस्त एवं चालु हालत में है जिसकी पुनः मैने 04.07.2024 को शिकायत दर्ज कराई जिसका मुझे कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। जिस पर मै जानकारी लेने एवं जेईएन की शिकायत करने एईएन कार्यालय बगड गया जहां एईएन साहब उपस्थित नही मिले जो कोई काम से मण्ड्रेला गये होना मालूम हुआ। वहां ईमित्र वाले ने मुझे बताया कि आपकी फाईल दो दिन से रखी है डिमाण्ड नोटिस जमा करवाओ तो मैने पुछा कौनसी फाईल तो उसने बताया आपके घरेलु कनेक्शन की फाईल जिस पर मैने एईएन कार्यालय कैशियर के पास डिमाण्ड नोटिस जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली। कैशियर ने रसीद देते हुये कहा कि हमारे कार्यालय का काम हो गया है अब जेईएन का काम बाकी है जेईएन जाने और तुम जानो। परिवादी से डिमाण्ड नोटिस जमा करवाने की रसीद प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 30-07-2024 को परिवादी श्री दीपक कुमार उपस्थित कार्यालय आया तथा बताया कि मेरे घरेलु कनेक्शन के लिए श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाने हेतु दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। मेरा घरेलु कनेक्शन का कार्य हो गया है। श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता से मैने कई बार फोन से सम्पर्क करने की कौशिश की लेकिन उन्होने मेरा फोन नही उठाया। श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता को ट्रेप कार्यवाही का शक हो गया है तथा अब वो मेरे से रिश्वत नही लेगा अतः अब ट्रेप की

संभावना नही है। परिवादी श्री दीपक कुमार ने श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता को दी जाने वाली रिश्वत राशि 40,000 रुपये लौटाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। रिश्वत में दिये जाने वाले नोट 40,000 रुपये को मालखाना अलमारी से निकालकर नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर से मुक्त कर परिवादी को सुपूर्द कर रसीद प्राप्त की गई। आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता, बख्तावरपुरा जिला झुंझुनूं ने परिवादी के पिता के घरेलु विधुत कनेक्शन जारी करने की एवज में परिवादी दिनांक 25-06-2024 को श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता से मिला तो उन्होंने ऐस्टीमेंट बदलकर दुसरा ऐस्टीटमेंट बनाकर देने की एवज में 60,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को फाईल देकर कहा कि फाईल को बदलवाकर लाकर देना। मै दुसरा एस्टीमेट बना दुंगा और कनेक्शन करवा दूंगा। दिनांक 26.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता ने घरेलु विधुत कनेक्शन जारी करने की एवज में परिवादी दीपक कुमार से 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26.06.2024 को परिवादी श्री दीपक कुमार व आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता के मध्य रुबरु हुई वार्ता के दौरान आरोपी कहता है कि "बिन मै सलटाउंगा ले तो बो गो बीस-तीस हजार रूपया बिना कोनी सलटे, बो सलटाणो पडगो, ऐसी तेसी थे ही करवाई भाईला कन जाके बठ, अब तो बो मेरी गलती आथ कोनी देखो थारी सोगन चलाकी फोन आयो, चार बर लगातार बात होई ही" इस पर परिवादी कहता है कि " हूं या अयां अस्टीमेंट मै मेरे तो डिमाण्ड नोट मेरे तो थे पहले ही लिख दियो थे तरेपन-चोवन हजार रिपिया तो, यो के" तब आरोपी कहता है कि "मै कोनी बोलू तो जचै गो ना बो जच ज्या गो भाई आपा राजी हो के ले ल्यां गा" तब परिवादी कहता है कि "थे राजी हो की ले तो ल्यो गा" तब आरोपी कहता है "हां" तब परिवादी कहता है कि "पण मनै नू तो बताओ कै मै तो मानल्यो काल नै ले के पांच हजार रूपिया ले के खडयो हो जाउंगो उरै" तब आरोपी कहता है कि " मै बै भी ले ल्यूंगो" तब परिवादी कहता है कि "मै पच्चास हजार लीयाउगो तो बै भी ले ल्योगा" तब आरोपी कहता है कि "मै सोक्यू ले लुंगा, कुछ ल्यायो है के" तब परिवादी कहता है कि "के ल्याणों है बताओ" तब आरोपी कहता है कि "ल्यायो है ना" तब परिवादी कहता है कि "नहीं, के ल्याणो है" तब आरोपी कहता है कि "लीयाओ" तब परिवादी कहता है कि "मन थे बताओ कै रूपया" तब आरोपी कहता है कि "काल आ की उरे पकडा जायो थे, कोई आंट कोनी" तब परिवादी कहता है कि "थे मन कह दयोगा बितनै की ही व्यवस्था कर की ल्या, मै चालीसेक की व्यवस्था कर देस्यूं थाने" तब आरोपी कहता है कि "थे कर दियो कोई दिक्कत कोनी थे जाओ अब आराम से" तब परिवादी कहता है कि "चालीस फाईनल कर दिया साठ.....(अस्पष्ट)" इस प्रकार आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता बख्तावरपुरा द्वारा परिवादी के घरेलु कनेक्शन जारी करने की एवज में 60,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 40,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया है। आरोपी श्री मनीष मान कनिष्ठ अभियंता को परिवादी पर शक होने से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी । अत आरोपी श्री मनीष मान पु्त्र श्री औमप्रकाश मान निवासी छत्रपति शिवाजी हॉस्टल के पास, वार्ड न0 18 चौधरी कॉलानी चिडावा, कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल बख्तावरपुरा हाल सहायक अभियंता (वि0) खेतडी नगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है। (इस्माईल खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनीष मान पु्त्र श्री औमप्रकाश मान निवासी छत्रपति शिवाजी हॉस्टल के पास, वार्ड न0 18 चौधरी कॉलानी चिडावा, कनिष्ठ अभियंता, एवीवीएनएल बख्तावरपुरा हाल सहायक अभियंता (वि0) खेतडी नगर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 126 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1411-1414 दिनांक 11-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपर क्रम संख्या-2, जयपुर। 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]1/2024 1[illegible]7

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/01/2012				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)